कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

विविध वाद सं0-52/2017-18

मो0 फकरे आलम
पिता स्व0 चमारी मिया
ग्राम व पोस्ट- कोडरमा
जिला- कोडरमा।

01/11/17 आवेदक मो0 फकरे आलम, पिता स्व0 चमारी मिया, ग्राम व पोस्ट- कोडरमा, जिला- कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 84 के अर्न्तगत प्लॉट नं0 532, रकबा 03 डी0, प्लॉट नं0 536, रकबा 03 डी0 एवं प्लॉट नं0 540 रकबा 06 डी0 भूमि की सरकारी रसीद आवेदक के मा बीबी फातमा, पति चमारी मिया के नाम से निर्गत होते आ रहा था, जिसका जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 15/02 मे चल रहा था। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नही किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माग करें।

अभिलेख दिनांक 15/12/17 को उपस्थापित करें।

01/11/2017
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

15/12/17
30/5/18 अभिलेख उपस्थापित।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच कर विहित प्रपत्र मे प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 84 के अर्न्तगत प्लॉट नं0 532, रकबा 03 डी0, प्लॉट नं0 536, रकबा 03 डी0 एवं प्लॉट नं0 540 रकबा 06 डी0, कुल रकबा 12 डी0 भूमि की जमाबन्दी आवेदक की बीबी फातमा, पति चमारी मिया के नाम से पंजी ।। के पेज नं0 15/2 पर कायम थी। लगान रसीद वर्ष 2005-06 तक निर्गत है। उक्त भूमि रैयती खाते की है। संबंधित जमाबन्दी क्षतिग्रस्त है।

स्थल जांच के कम मे इनामुल हक, मो0 शमीम, मो0 शाहबाज, जावेद रहमान, परवेज आलम वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नही कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद सं0 488639 दि0 18.02.1973, 1995927 दि0 28.06.2005 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर बीबी फातमा के नाम से दर्ज था। अंचल नाजिर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान रसीद सं0 1995927 दि0 28.06.2005 को रसीद भण्डार पंजी से मिलान करने पर भण्डार पंजी मे दर्ज पाया गया।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक फकरे आलम पति चमारी मिया
मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 84, जो अपनी मां बीबी फातमा के नाम से खिरसटा कबाला
के द्वारा प्लॉट नं0 532, रकवा 03 डी0, प्लॉट नं0 536, रकवा 03 डी0 एवं प्लॉट नं0 540 रकवा 06
डी0, कुल रकवा 12 डी0 जमीन क्रय किया गया। जिस पर वर्तमान मे घर कुआ एवं कुछ जमीन
बदलैन का बारी बनाये हुये है। उक्त जमीन पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। किसी के
द्वारा आपति दर्ज नही कराया गया है। उक्त प्लॉटो का नक्शे से भी मिलान किया गया। दखल कब्जे
से संबधित कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं0 1903 दिनांक 08.05.18
संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेखित किया गया कि वर्णित भूमि हमारे दखल कब्जे में है। भूमि से
संबधित कोई मामला किसी न्यायालय मे लंबित नही है। अगर किसी प्रकार का त्रुटि भविष्य में पाया
गया तो उचित दण्डात्मक कारंवाई की जा सकती है ।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा
के आदेश ज्ञापांक 140 / रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर
अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 84 के अर्न्तगत
प्लॉट नं0 532, रकवा 03 डी0, प्लॉट नं0 536, रकवा 03 डी0 एवं प्लॉट नं0 540 रकवा 06 डी0,
कुल रकवा 12 डी0 पर आवेदक का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित
को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। राजस्व हित में संबंधित भू-भाग से राजस्व
की वसूली राज्य हित मे है। ऐसे मामले मे अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का
आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक मे मौजा कोडरमा, थाना नं0 333, खाता नं0 84 के अर्न्तगत प्लॉट
नं0 532, रकवा 03 डी0, प्लॉट नं0 536, रकवा 03 डी0 एवं प्लॉट नं0 540 रकवा 06 डी0, कुल रकवा
12 डी0 भूमि की जमाबन्दी पूर्व की भांति जमाबंदीधारक बीबी फातमा, पति चमारी मियां के नाम से
कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के
अन्दर प्रस्तुत करें।

30/05/2018
अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।